भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 29

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

संहिताओं का कार्यान्वयन

29. श्री इटेला राजेंदर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ट्रेड यूनियनों की आपत्तियों के कारण संहिताओं के अभी तक लागू न हो पाने के मद्देनजर विवादास्पद कानून को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों से सहयोग मांगा हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अभी तक उक्त संहिताओं के लिए नियम तैयार नहीं किए हैं और सरकार उन राज्यों की सहायता कर रही है जो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियमों का प्रारूप तैयार नहीं कर सके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स (सूटीयू) ने यह कहते हुए संहिताओं के कार्यान्वयन का विरोध किया था कि इससे ट्रेड यूनियनों के अधिकारों और कामगारों के सामाजिक सुरक्षा उपायों में कटौती होगी और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए जा रह सुधारात्मक कदमों सहित उनके कार्यान्वयन की संहिता-वार और राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): एक विषय के रूप में "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और इन संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

दिनांक 21.12.2020, 12.01.2021 और 20.01.2021 को सरकार ने संहिताओं को अधिसूचित करने के बाद सभी चार संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों के मसौदे पर तीन त्रिपक्षीय परामर्श किए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 32, 31, 31 और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को श्रम संहिता के दायरे में अपने संबंधित नियम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं।

जारी..2/-

(ग): सरकार ने सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में औद्योगिक स्थापना के लिए वार्ता संघ और वार्ता परिषद की अवधारणा को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज को बढ़ाने के उपबंधों की भी परिकल्पना की गई है।

(घ): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 04, 05, 05 और 05 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने क्रमशः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत अपने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित नहीं किया है। श्रम संहिताओं के दायरे में मसौदा नियम तैयार करने में उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं।

*****